देखिए पैरा 03 (क)

अनुप्रमाणन फार्म

परिषिष्ट–छ

चेतावनी

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा।

यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्व पाया जाता है , अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों, (खात्मा), वापस ले लिए गए हों, या उनमें उनमे अन्ततः दोषमुक्त हो गई हो या समझौता कर लिया गया हों,

यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म मे असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

---

01. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) कुलनाम (सरनेम) नाम :–
तथा उपनाम, यदि कोई हों (यदि आपने किसी भी
अवस्था में अपने नाम का कुलनाम में कुछ जोंड़ा हो
या हटाया हों तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)

---

02. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, पता, :–
था जिला,या घर कमांक गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हों)

---

03. (क) घर का पूरा पता :–
(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला
या घर कमांक, गली (मार्ग) सड़क
तथा नगर और राज्य, जिसमें वह
स्थित हों)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान :–
के निवासी हों तो उस देष में
आपका पता तथा भारतीय संघ
में प्रवास की तारीख.

04. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे , जहां आप पिछले पांच वर्षो के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेष (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. :–

से	तक	निवास का पूरा पता(अर्थात् ग्राम, पता, तथा जिला,या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर	पुर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला–मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हों.
(1)	(2)	(3)	(4)

05. पिता का नाम :–

(क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि हो :–

(ख) वर्तमान डाक–पता (यदि स्वर्गवास :–
हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)

(ग) घर का स्थायी पता :–

(घ) व्यवसाय :–

(झ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय
का पता दीजियें. :–

6. (एक) नीचे उल्लेखित व्यक्तियो की राष्ट्रीयता:–

(क) पिता :–.....

(ख) माता :–.....

(ग) पति/पत्नि :–.....

(घ) उम्मीदवार :–.....

(दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान :–.....

7. (क) जन्म तारीख :–

(ख) वर्तमान आयु :–

(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु :–

8. (क) जन्मस्थान , जिला तथा राज्य :–
जिसमें वह स्थित हों

(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के :–
आप निवासी है.

9. (क) आपका धर्म :–

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के :–
सदस्य है हां या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर
हां में हो तो उस जाति विषेष का नाम लिखिए.

10. शैक्षाणिक अर्हताए :–

वर्ष सहित उन स्थानो के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हों:–

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेष की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
01	02	03	04

11. यदि आप कभी नियोजित रहें हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए:–

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि		कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोडने के कारण
	से	तक		

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए है, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरूद्व किए गए है या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये है या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विष्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है।

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समया किसी भी न्यायालय, विष्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लम्वित है ?

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रष्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी,, निरोध,जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेष आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विष्वविद्यालय/षैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएगें:–

1. अपराध/आरोप :–

2. पुलिस थाने में पंजीयन :–

3. यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम :–

4. मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया :–

5. दिया गया दंड :–

6. क्या दोषमुक्त कर दिया गया :–

7. दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था। :–

8. क्या आप किसी ऐसे संग या संगठन जो सरकार द्वार विधि विरुद घोषित किया गया था अथवा किया गया है। के सदस्य है या उससे संबंध रहै यदि ऐसा है तो पूर्व प्रविष्ठियां व जैसे संग/संगठन की सदस्यता अथवा संबंध की कालावधि इत्यादि। :–

टिप्पणी :– अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें.– अपुण फार्म स्वीकार नही किया जावेगा। न्यायालय से तत्थों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निदेषियों के नाम, जो आपको जानते हों

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विष्वास है, सही और पूरी हो है मैं ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हुं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना किए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....

.स्थान .....

पहचान—प्रमाण—पत्र

(प्रमाण—पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियो में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :—

1. केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित आधिकारी,
2. संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य,
3. सब—डिवीजनल मजिस्ट्रेट/आधिकारी,
4. तहसीलदार या नायब/उप—तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हों,
5. शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं प्रधानाचार्य तथा प्रमुख,
6. खण्ड विकास अधिकारी,,
7. पोस्ट मास्टर
8. पंचायत निरीक्षक,

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पति का नाम श्री .....को पिछले ....वर्ष ....माह से जानता हूं तथा उसके द्वारा दिए गए ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विशवास है सही है।

स्थान ..... हस्ताक्षर

तारीख ..... पदनाम या स्थिति तथा पता

पता:—

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

- नियुक्ति प्राधिकारी का नाम पदनाम और पूरा पता :—

- वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है:—